

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

चूँकि पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, हजारीबाग के पत्रांक- 41/भ्र०नि० दिनांक- 27.04.2017 के द्वारा श्री त्रिलोकी महतो, पिता-मुसाफिर महतो सा० करनीबाद थाना-कुण्डा जिला-देवघर सम्प्रति कनीय अभियंता, वर्तमान लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी के विरुद्ध उपलब्ध कागजात प्राथमिकी, काण्ड- दैनिकी, पर्यवेक्षण - टिप्पणी तथा अभिलेखों के परिशीलन के बाद यह समाधान हो गया है कि निगरानी राँची थाना काण्ड सं०- 36/2013 दिनांक- 01.10.2013 धारा- 409/420/467/468/471/477 (ए) भा०द०वि० एवं 13(1) सह पठित धारा 13(1) (सी०)(डी०) भ्र०नि०अधि०-1988 के अन्तर्गत आरोप पत्र का पर्याप्त साक्ष्य है। फलस्वरूप श्री त्रिलोकी महतो के विरुद्ध धारा- 197 द०प्र०सं० तथा भ्र०नि०अधि०-1988 की धारा-19(1) (बी०) में प्रदत्त शक्तियों के तहत उपयोग करते हुए प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित आरोपों के लिए अभियोजन का मामला बनता है।

और चूँकि दण्ड प्रक्रिया संहिता में निहित उपबंधों के अधीन कोई भी न्यायालय किसी ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध जो राज्य सरकार की मंजूरी से ही अपने पद से हटाया जा सकता है, किसी ऐसे अपराध को जो इसके द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया गया अभिकथित हो, संज्ञान नहीं ले सकता है।

और चूँकि श्री त्रिलोकी महतो, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल खूँटी ऐसे लोक सेवक है जो राज्य सरकार की मंजूरी से ही सेवा से हटाये जा सकते हैं और यह अभिकथित है कि उन्होंने अपराध अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए किया है और अब इसलिए राज्य सरकार एतद् द्वारा धारा- 197 द०प्र०सं० तथा भ्र०नि०अधि०-1988 की धारा-19(1) (बी०) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दण्ड संहिता (1860 के अधिनियम सं०-45) की धारा-409/420/467/468/471/477(ए) भा०द०वि० एवं 13(1) सह पठित धारा 13(1) (सी०)(डी०) भ्र०नि०अधि०-1988 के अधीन अपराध के लिए उनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह०/-

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :राँची/दिनांक

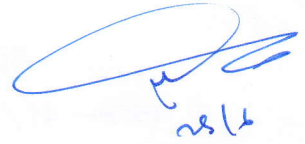
प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय हजारीबाग को उनके पत्रांक- 41/भ्र०नि० दिनांक- 27.04.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 2867 राँची/दिनांक 29-06-12

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव (प्र०)/अवर सचिव प्रभारी प्रशाखा-03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब ~~मैनेजर~~, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

✓